

**न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/एफ.टी.सी. (Crime Against Women), मुरादाबाद।**

वाद संख्या-552/2024

धारा- 31 डी०वी० एक्ट

थाना-मझोला, जिला मुरादाबाद।

श्रीमती प्रेरणा शर्मा बनाम कपिल कुमार शर्मा।

**01.04.2026**

पत्रावली पेश हुई। वादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थिनी श्रीमती प्रेरणा शर्मा की ओर से आज प्रार्थना पत्र 5 क प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि प्रार्थिनी ने मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 17.05.2023 को विपक्षी द्वारा दय 9,000/- रुपये की अंतरिम भरण पोषण की धनराशि के भुगतान हेतु प्रार्थनापत्र योजित किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा कार्यालय से रिपोर्ट तलब की गयी थी। दिनांक 13.06.2023 को श्रीमान जी के न्यायालय में कार्यालय द्वारा रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है कि विपक्षी द्वारा प्रार्थिनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र एवं कार्यालय की रिपोर्ट वाद की मूल पत्रावली वाद सं०-1711/2020 पर संलग्न है जिसमें 05.12.2024 को प्रार्थिनी द्वारा प्रति आपत्ति दाखिल की जा चुकी है जो विचाराधीन है। प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त अंतरिम भरण पोषण के भुगतान हेतु माननीय न्यायालय में पुनः आवेदन किया जिसकी वाद सं०-552/2024 है। प्रार्थिनी को देय अंतरिम भरण पोषण की 9,000/- रुपये के भुगतान हेतु मूल पत्रावली पर कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण प्रार्थिनी अपना उपरोक्त मुकदमा वाद सं०-552/2024 औचित्यहीन होने के कारण समाप्त कराना चाहत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त के मूलपत्रावली वाद सं०-1711/2020 में अंतरिम भरण पोषण भुगतान हेतु लंबित कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त मुकदमा वाद सं०-552/2024 की कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करे। समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी श्रीमती प्रेरणा शर्मा द्वारा उक्त वाद विपक्षी कपिल कुमार शर्मा के विरुद्ध संस्थित किया गया था। वादिनी अब अपना मुकदमा स्वयं नहीं चलाना चाहती है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाद प्रार्थनापत्र 5 क के परिपेक्ष्य में निस्तारित किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रश्नगत वाद प्रार्थनापत्र 5 क के परिपेक्ष्य में निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकिता-I)

सिविल जज (जू० डि०)/ एफ.टी.सी.

(Crime Against Women),

मुरादाबाद।

J.O.Code UP 4644